

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह

पृष्ठां. क्र. 465/एक-2-1/83


दमोह, दिनांक 07 फरवरी 2024

आदेशानुसार प्रतिलिपि :-

न्यायालय श्री राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला दमोह म.प्र. की ओर दाण्डिक कार्य वितरण आदेश जावक क्रं. 46/2025 दमोह दिनांक 06.02.2025 मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
दमोह म.प्र.



SUK  
DRAO  
07 02 25

कार्यालय— राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह  
जिला दमोह (म.प्र.)

क्रमांक—46./2025

दमोह, दिनांक 06.02.2025

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय  
दमोह, जिला दमोह म.प्र.

विषय:— दांडिक कार्य वितरण आदेश का अनुमोदन किये जाने के संबंध में।


—00—

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, इस न्यायालय द्वारा दांडिक कार्य वितरण आदेश दिनांक 06.02.2025 का तैयार किया गया है, जिसका अनुमोदन माननीय महोदय के द्वारा किया जाना है अतः उक्त दांडिक कार्य वितरण आदेश मूलतः माननीय महोदय की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

यही विनम्र निवेदन है।

संलग्न—दांडिक कार्य वितरण आदेश दिनांक 06.02.2025।

  
राम सिंह बघेल  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह  
जिला दमोह म.प्र.

**न्यायालय :-राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह जिला दमोह (म.प्र.)**

**-:: दाण्डिक कार्य वितरण आदेश ::-**

(भाग-1)

जावक क्रमांक-...../स्टेनो/2025

दमोह, दिनांक- 06.02.2025

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुख्यालय दमोह पर सुश्री पलक सिंघई, श्री उत्कर्ष दिवाकर, सुश्री रिया सिंह की पदस्थापना होने एवं तहसील न्यायालय हटा में पदस्थ प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री निशिता श्रीवास्तव की नियमित पद स्थापना होने से मजिस्ट्रेट न्यायालयों के सुचारु रूप से संचालन हेतु मैं, **राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) के अंतर्गत प्राप्त प्राधिकारों एवं शक्तियों के प्रयोग में पूर्व में जारी कार्य वितरण आदेश/संशोधित आदेशों को अतिष्ठित करते हुए न्यायिक जिला स्थापना दमोह, हटा, पथरिया एवं तेन्दूखेड़ा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार दाण्डिक कार्य का विभाजन करता हूँ, उक्त कार्यविभाजन आदेश आगामी आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	दाण्डिक कार्य विभाजन का वितरण
1	श्री राम सिंह बघेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह म.प्र. <b>I-CJ-I</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. पुलिस थाना <b>कोतवाली दमोह, दमोह देहात एवं आबकारी वृत्त अ एवं ब तथा यातायात</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना कोतवाली दमोह, हिंडोरिया के उद्भूत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां।</li><li>2. पुलिस थाना <b>कोतवाली एवं दमोह देहात</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा <b>175(3) भा.ना.सु.सं.</b> के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</li><li>3. चलचित्र अधिनियम।</li><li>4. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम।</li><li>5. दुकान स्थापना अधिनियम।</li><li>6. वेट्स एवं मेजरमेंट एक्ट।</li><li>7. श्रमिक विधियाँ।</li><li>8. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम।</li><li>9. नगर पालिका अधिनियम।</li><li>10. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण।</li></ol>

		<p>11. सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दमोह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>12. धारा 450 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>13. पुलिस थाना <b>कोतवाली एवं दमोह देहात</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>14. पुलिस थाना <b>कोतवाली एवं दमोह देहात</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>15. पुलिस थाना <b>कोतवाली एवं दमोह देहात</b> से उद्भूत खात्मा (F.R.) प्रकरण।</p> <p>16. समस्त दमोह जिला के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारिजी (E.R.) प्रकरण।</p> <p>17. अन्य ऐसे सभी प्रकरण, जिनका उल्लेख इस विभाजन में नहीं है।</p> <p>18. अन्य आपराधिक प्रकरण, जो माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावे।</p>
2	<p>सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह म.प्र.</p>	<p>1. <b>महिला थाना दमोह एवं हिण्डोरिया</b> से उद्भूत समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद/इस्तगासा एवं <b>धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.</b> कार्यवाहियां तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. <b>महिला थाना दमोह एवं हिण्डोरिया</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील दमोह एवं जबेरा अंतर्गत <b>खान-खनन एवं वन विभाग</b> द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार <b>थाना कोतवाली दमोह, देहात दमोह, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा</b> के <b>विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>5. <b>महिला थाना दमोह, थाना कोतवाली दमोह, देहात दमोह, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें <b>धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.</b> के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं, जो <b>विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति होने वाले अपराध से संबंधित हों।</p> <p>6. थाना कोतवाली एवं दमोह देहात, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा से उद्भूत <b>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005</b> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 144 से 147 भा.ना. सु.सं. तक (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण को छोड़कर) तथा</p>

		<p>मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना <b>कोतवाली दमोह, दमोह देहात, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा</b> के ऐसे प्रकरण जो <b>विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति कारित अपराध से संबंधित हैं, उन प्रकरणों के पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय/नियमित न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>8. ग्राम न्यायालय रिक्त होने से आगामी आदेश तक ग्राम न्यायालय प्रभार से संबंधित प्रकरणों में प्रभारी न्यायिक अधिकारी की हैसियत से अत्यावश्यक कार्य संपादित करते हुए आगामी तिथिया नियत करेंगे।</p> <p>9. महिला थाना दमोह एवं थाना हिंडोरिया के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>10. <b>महिला थाना दमोह एवं थाना हिंडोरिया</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>11. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
3	<p>सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह म.प्र.</p>	<p>1. पुलिस थाना <b>जबेरा</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें <b>धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.</b> एवं अन्य कार्यवाहियां (थाना जबेरा के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. किशोर न्याय बोर्ड दमोह से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई।</p> <p>3. अन्य कार्य जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p> <p>4. पुलिस थाना <b>जबेरा</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p> <p>6. पुलिस थाना <b>जबेरा</b> से उद्भूत <b>धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम</b> के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना <b>जबेरा</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और</p>

		<p>मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p><b>8.</b> पुलिस थाना <b>जबेरा</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p>
4	<p>सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म.प्र.</p>	<p><b>1.</b> पुलिस थाना <b>नोहटा</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना नोहटा के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p><b>2.</b> पुलिस थाना <b>नोहटा</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा <b>175(3) भा.ना.सु.सं.</b> के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p><b>3.</b> पुलिस थाना <b>नोहटा</b> से उद्भूत धारा <b>138 परकाम्य लिखित अधिनियम</b> के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p><b>4.</b> पुलिस थाना <b>नोहटा</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p><b>5.</b> पुलिस थाना <b>नोहटा</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p><b>6.</b> पुलिस थाना <b>नोहटा</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p><b>7.</b> आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावे।</p>
5	<p>सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म.प्र.</p>	<p><b>1. जी.आर.पी. चौकी दमोह</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना जी.आर.पी. चौकी के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p><b>2. जी.आर.पी. चौकी दमोह</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट</p>

		<p>इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. जी.आर.पी. चौकी से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>4. जी.आर.पी. चौकी दमोह के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>5. जी.आर.पी. चौकी दमोह के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>6. जी.आर.पी. चौकी दमोह से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
6	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म.प्र.	<p>1. पुलिस थाना दमोह देहात से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>2. पुलिस थाना दमोह देहात से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. ऐसे आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
7	श्री उत्कर्ष दिवाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म.प्र.	<p>1. पुलिस थाना कोतवाली से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>2. पुलिस थाना कोतवाली से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. ऐसे आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
8	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह जिला दमोह म.प्र.	<p>1. पुलिस थाना हिंडोरिया से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>2. पुलिस थाना हिंडोरिया से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. ऐसे आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
9	श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	<p>1. पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढियादो से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण तथा अन्य कार्यवाहियां (थाना हटा, बटियागढ़, मढियादो के उद्भूत</p>

<p>श्रेणी हटा, जिला दमोह</p>	<p>भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति उत्पन्न भा. सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के मामलों को छोड़कर) जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना <b>हटा, बटियागढ़, मढ़ियादो</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें <b>धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.</b> के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. <b>ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008</b> की धारा 12 में उपबंधित अनुसूची के भाग एक एवं भाग दो में उल्लेखित आपराधिक प्रकरण जो जनपद पंचायत हटा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सभी प्रकरण।</p> <p>4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार जिला दमोह के तहसील हटा, पटेरा और बटियागढ़ के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के <b>खान-खनन एवं वन विभाग</b> द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>5. पुलिस थाना <b>हटा, बटियागढ़, मढ़ियादो</b> से उद्भूत <b>धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम</b> के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना <b>थाना हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ़, पटेरा, रजपुरा, मढ़ियादो, कुम्हारी एवं मगरोन</b> के ऐसे प्रकरण जो <b>विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति कारित अपराध से संबंधित हैं, उन प्रकरणों के पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय/नियमित न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां, जिसमें पुलिस थाना <b>हटा, बटियागढ़, मढ़ियादो</b> से उद्भूत अन्य सभी प्रकरणों में फरार/स्थायी वारंट के संबंध में होने वाली कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना <b>हटा, बटियागढ़, मढ़ियादो</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>8. पुलिस थाना <b>हटा, बटियागढ़, मढ़ियादो</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>9. तहसील हटा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त प्रकरण।</p> <p>10. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
<p>10 श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह</p>	<p>1. पुलिस थाना <b>रनेह, गैसाबाद</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां तथा अन्य कार्यवाहियां (थाना रनेह, गैसाबाद के उद्भूत वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) जिसके अंतर्गत खात्मा</p>

		<p>(F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना <b>रनेह, गैसाबाद</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना <b>हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ़, पटेरा, मढ़ियादो, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरौन</b> के <b>विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>4. थाना <b>हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ़, पटेरा, मढ़ियादो, कुम्हारी, रजपुरा एवं मगरौन</b> से उद्भूत <b>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005</b> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. तक (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण को छोड़कर) तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना <b>रनेह, गैसाबाद</b> से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना <b>रनेह, गैसाबाद</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना <b>रनेह, गैसाबाद</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>8. पुलिस थाना <b>रनेह, गैसाबाद</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>9. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
11	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह	<p>1. पुलिस थाना <b>पटेरा एवं कुम्हारी</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना पटेरा, कुम्हारी के उद्भूत <b>भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p>

		<p>2. पुलिस थाना <b>पटेरा, कुम्हारी</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना <b>पटेरा, कुम्हारी</b> से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>4. पुलिस थाना <b>पटेरा, कुम्हारी</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. पुलिस थाना <b>पटेरा, कुम्हारी</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>6. पुलिस थाना <b>पटेरा, कुम्हारी</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
12	सुश्री दिव्यानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह	<p>1. पुलिस थाना <b>रजपुरा</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना रजपुरा के उद्भूत <b>भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना <b>रजपुरा</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना <b>रजपुरा</b> से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>4. पुलिस थाना <b>रजपुरा</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. पुलिस थाना <b>रजपुरा</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>6. पुलिस थाना <b>रजपुरा</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
13	सुश्री निशिता श्रीवास्तव,	1. पुलिस थाना <b>मगरोन</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां

<p>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह</p>	<p>(थाना मगरौन के उद्भूत <b>भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना मगरौन से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना मगरौन से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>4. पुलिस थाना मगरौन से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. पुलिस थाना मगरौन के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>6. पुलिस थाना मगरौन के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
<p>14 श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथरिया, जिला दमोह</p>	<p>1. पुलिस थाना पथरिया से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना पथरिया से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना पथरिया के <b>विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>4. थाना पथरिया से उद्भूत <b>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005</b> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण।</p> <p>5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश</p>

		<p>क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील पथरिया के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले <b>खान-खनन एवं वन विभाग</b> द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना <b>पथरिया</b> से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना <b>पथरिया</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>8. पुलिस थाना <b>पथरिया</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>9. पुलिस थाना <b>पथरिया</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>10. तहसील पथरिया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त प्रकरण।</p> <p>11. अन्य आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान न्यायाधीश दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
15	श्री पुजीत कमल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह	<p>1. पुलिस थाना <b>तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही</b> से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना <b>तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही</b> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्यविभाजन आदेश क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना तेजगढ़, तेन्दूखेड़ा एवं तारादेही के <b>विशिष्टतया महिलाओं</b> के प्रति उत्पन्न भा.सु.सं. की धारा 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96 एवं 141 अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>4. थाना <b>तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही</b> के उद्भूत <b>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005</b> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. तथा मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न अन्य कार्यवाहियां एवं परिवाद प्रकरण।</p> <p>5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्यविभाजन आदेश क. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील तेन्दूखेड़ा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले <b>खान-खनन एवं वन विभाग</b> द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p>

	<p>6. पुलिस थाना <b>तेंदूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही</b> से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना <b>तेंदूखेड़ा, तेजगढ़ एवं तारादेही</b> से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>8. पुलिस थाना <b>तेंदूखेड़ा, तेजगढ़ एवं तारादेही</b> के अंतर्गत उत्पन्न अल्प मात्रा के स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण (विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>9. पुलिस थाना <b>तेंदूखेड़ा, तेजगढ़ एवं तारादेही</b> के अंतर्गत उत्पन्न एवं जेएमएफसी द्वारा सुनवाई योग्य (किसी विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है।</p> <p>10. अन्य आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान न्यायाधीश दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
--	--

### (भाग-2)

### —:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::—

नीचे उल्लेखित कॉलम नं. 2 के मजिस्ट्रेटों के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से बाहर रहने की दशा में अथवा उनका न्यायालय रिक्त हो जाने की दशा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रभार निम्नानुसार रहेगा—

1	2	3	4	5	6
क्र.	पीठासीन अधिकारी	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1	राम सिंह बघेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	श्री उत्कर्ष दिवाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
2	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	राम सिंह बघेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
4	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह



15	श्री पुजित कमल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
----	---	---	--	---	---

### (भाग-3)

#### —: धारा 183 भा.ना.सु.सं. के कथन से संबंधित प्रभार आदेश :-

महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री/पीडित/फरियादी के धारा 183 भा.ना.सु.सं. के कथन एवं संस्वीकृति विशेषतः महिला न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किये जाने का निर्देशानुसार निम्नानुसार प्रभार कथन एवं संस्वीकृति अंकित करने हेतु दमोह जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र, जो कॉलम नं. 2 में वर्णित आरक्षी केंद्रों के धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कथन कॉलम नं. 3 के मजिस्ट्रेटगण को अधिकृत किया जाता है एवं उनके अवकाश या अन्य दशा में उनका प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रभार निम्नानुसार रहेगा :-

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	अधिकृत मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र दमोह देहात एवं हिण्डोरिया	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
2	आरक्षी केन्द्र जबेरा एवं थाना नोहटा	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	आरक्षी केन्द्र पथरिया एवं एस. सी.एस.टी. एक्ट थाना	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
4	आरक्षी केन्द्र कोतवाली दमोह एवं महिला थाना दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
5	आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा, तेजगढ़ एवं तारादेही थाना	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह

टीप- तहसील न्यायालय हटा में तीन महिला मजिस्ट्रेट पदस्थ होने से निम्नानुसार साक्षी/अभियोक्त्री के कथन /संस्वीकृति अंकित किये जाने हेतु उन्हें अधिकृत किया जाता है:-

6	आरक्षी केन्द्र हटा, बटियागढ़ एवं गैसाबाद	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा (स्वयं के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा	सुश्री निशिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
7	आरक्षी केन्द्र पटेरा, कुम्हारी एवं मगरोन	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा	सुश्री निशिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा (स्वयं के द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
8	आरक्षी केन्द्र मढ़ियादौ, रनेह एवं रजपुरा	सुश्री निशिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हटा (स्वयं के द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह

### (भाग-3 क)

**-:: धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत सामान्य कथन से संबंधित प्रभार आदेश ::-**

महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री/पीड़ित/फरियादी के धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कथनों को छोड़कर शेष अपराधों के संबंध में साक्षियों के धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन एवं संस्वीकृति नीचे दर्शाये कॉलम नंबर 02 में वर्णित थाना से संबंधित कथन कॉलम नंबर 3 में दर्शित मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे, कॉलम नंबर 3 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में कॉलम नंबर 4 में दर्शित मजिस्ट्रेट तथा कॉलम नंबर 4 में दर्शित मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर 5 में दर्शित मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे :-

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	अधिकृत मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली दमोह, जबेरा	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह, (स्वयं के न्यायालय के विचारण योग्य (प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह

2	आरक्षी केन्द्र <b>तेंदूखेड़ा</b>	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	आरक्षी केन्द्र <b>तेजगढ़, एवं एससीएसटी एक्ट थाना</b>	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह, (स्वयं के न्यायालय के विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
4	आरक्षी केन्द्र <b>दमोह देहात एवं नोहटा</b>	श्री उत्कर्ष दिवाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
5	आरक्षी केन्द्र <b>तारादेही, पथरिया</b>	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
6	<b>आरक्षी केन्द्र हिण्डोरिया</b>	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
7	आरक्षी केन्द्र <b>हटा, बटियागढ़ एवं</b>	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
8	आरक्षी केन्द्र <b>रनेह एवं गैसाबाद</b>	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री निशिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
9	आरक्षी केन्द्र <b>पटेरा एवं कुम्हारी</b>	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री निशिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
10	आरक्षी केन्द्र <b>रजपुरा एवं मगरोन</b>	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
11	आरक्षी केन्द्र <b>मढ़ियादों</b>	सुश्री निशिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा

**नोट:-**

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत होने वाले अपराधों में धारा 183 भा.ना.सु.सं. के कथन भी उपरोक्तानुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे।
2. बाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों में धारा 183 भा.ना.सु.सं. के कथन एवं संस्वीकृति बाल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को छोड़कर कार्य विभाजन आदेशानुसार उल्लेखित कमानुसार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा लेख किये जायेंगे।

(भाग-4)

**-:: एनडीपीएस एक्ट की धारा 52(क) की कार्यवाही के प्रभार हेतु आदेश ::-**

स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 52(क) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण के लिए कॉलम नंबर 02 में वर्णित आरक्षी केंद्रों के लिए कॉलम नंबर 03 के मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है और उनके अवकाश या अन्य कारण से बाहर रहने की दशा में उनका प्रथम एवं द्वितीय प्रभार कॉलम नंबर 4 और 5 के मजिस्ट्रेट पर रहेगा :-

क्र.	आरक्षी केन्द्र का नाम	अधिकृत मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली दमोह,	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
2	आरक्षी केन्द्र दमोह देहात एवं तेंदूखेड़ा	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
3	आरक्षी केन्द्र तेजगढ़, तारादेही एवं एससीएसटी एक्ट थाना	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
4	आरक्षी केन्द्र जबेरा	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
5	आरक्षी केन्द्र नोहटा थाना	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
6	आरक्षी केन्द्र हिण्डोरिया थाना	श्री उत्कर्ष दिवाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री तसलीम निजामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
7	आरक्षी केन्द्र पथरिया थाना	सुश्री रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री उत्कर्ष दिवाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह,	सुश्री पलक सिंघई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
8	आरक्षी केन्द्र हटा एवं बटियागढ़	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
9	आरक्षी केन्द्र रनेह एवं गैसाबाद	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा

10	आरक्षी केन्द्र पटेरा एवं कुम्हारी	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	सुश्री दिव्यानी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
11	आरक्षी केन्द्र रजपुरा एवं मगरोन	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
12	आरक्षी केन्द्र मढ़ियादो	सुश्री निशिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री तेजसींग गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा

### (भाग-5)

#### --: आवश्यक निर्देश :-

1. इस दाण्डिक कार्य वितरण आदेश के निर्वहन में संबंधित मजिस्ट्रेट को किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह को संदर्भित किया जावे।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. उपरोक्त कार्य वितरण आदेश के अतिरिक्त अन्य आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावे, उनका विचारण भी संबंधित मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा।
4. चलित न्यायालय का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा संपूर्ण दमोह जिले में किया जावेगा। अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **दमोह** में मोटरयान अधिनियम से संबंधित चलित न्यायालय का संचालन अपने-अपने थाना क्षेत्रों में करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को अन्य थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय का संचालन करने हेतु अधिकृत समय-समय पर किया जा सकेगा। इस स्थापना के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चलित न्यायालय लगाने के पूर्व **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की अग्रिम अनुमति लेकर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह** को लिखित सूचना देने के बाद उसे लगा सकेंगे। यह भी सुनिश्चित रखें कि न्यायालयीन कार्य दिवसों में चलित न्यायालय के आयोजन की स्थिति में पूर्व से नियत कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिये।
5. संक्षिप्त विचारण के समस्त प्रकरण, जिनमें अभियुक्त अपराध को स्वीकार करना चाहता है, उसमें अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने पर उनके न्यायालय के आवश्यक दाण्डिक कार्यभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे संक्षिप्त विचारण के प्रकरणों का निराकरण विधि अनुसार किया जावेगा और **ऐसे प्रकरण निराकृत किए जाने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पंजीबद्ध किए जावेंगे।**
6. किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं सुनवाई योग्य प्रकरणों का निकारण संबंधित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।

7. वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा **दांडिक कार्य, विभाजन पत्रक** के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।
8. किसी भी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पूर्व से लंबित मामले को अंतिम रूप से निराकरण करना, आवश्यक कार्य में नहीं आयेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन आवश्यक कार्यों के संपादन के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्राधिकृत किये जाने की स्थिति में ऐसे प्राधिकृत द्वारा विशिष्ट रूप से :-
  - (i) धारा 187 भा.ना.सु.सं., 2023 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत रिमाण्ड आवेदन पत्र। (ii) जमानत संबंधी आवेदन पत्र। (iii) उसी दिन प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड आवेदन पत्रों के अपराध में जप्त की गई संपत्ति को सुपुर्दगी में दिये जाने वाले आवेदन पत्र, की सुनवाई की जाकर निराकृत करना होगा, परंतु अवकाश के दिन, पूर्व से लंबित आपराधिक प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय से आहूत किये जाने का आदेश नहीं दिया जायेगा।
9. किसी न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण से संबंधित अन्य उद्भूत विविध कार्यवाही एवं प्रकरण उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहेंगे।
10. इस दाण्डिक कार्य वितरण आदेश पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के द्वारा जारी कार्य वितरण आदेश अधिभावी/प्रभावी होगा।
11. भाग-2, 3, 3क एवं 4, 4क इस दाण्डिक कार्य वितरण आदेश के अभिन्न अंग समझे जावें।


**(भाग-5क)**  
**राजपत्र में दिये गये**  
**--: आवश्यक निर्देश ::--**

1. धारा 183 के अधीन साक्षी/अभियोक्त्री के संस्वीकृति से भिन्न कोई भी कथन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 की उपधारा (5) के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।
2. जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह भा.ना.सु.सं. की धारा 183 की उप-धारा (6क) के अधीन विशेषतः महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।
3. न्यायालय, अन्वेषक अधिकारी से तत्काल अभियोक्त्री से संबंधित चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राप्त करेगा।
4. धारा 183 के तहत अभिलिखित मूल कथन एवं प्रपत्र को एक आवरण में बांधकर सील-बंद किया जायेगा और जांच या विचारण करने वाले संबंधित न्यायालय को अग्रेषित किया जायेगा।


5. उपरोक्त धारा 183 के अधीन अभिलिखित कथन की एक प्रति, अन्वेषक अधिकारी को कार्यवाहियों के अभिलेख में यह विनिर्दिष्ट निर्देश अभिलिखित करते हुये प्रदत्त की जाएगी और अन्वेषक अधिकारी द्वारा हाशिए में अपने हस्ताक्षर सहित इसकी अभिस्वीकृति दी जायेगी, कि इसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जायेगा।
6. अभियुक्त को केवल भा.ना.सु.सं. की धारा 230 या 231 के अधीन प्रकम पर ही, उप-नियम (2) के अधीन अभिलिखित कथन की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित किए जाने की दिनांक...../...../2025 तथा अनुमोदित दिनांक से प्रभावी।

अनुमोदित

  
(आनंद कुमार तिवारी)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जिला एवं सत्र न्यायालय, दमोह म.प्र.

07 FEB 2025

  
राम सिंह बघेल  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह  
जिला दमोह म.प्र.